

Witness No.....03.....,for-.....अभियोजन.....,

Deposition taken on the ..20.02.2024.....,day of - witness's apparent age —.....41.....वर्ष

States affirmation on oath.....शपथपूर्वक..... my name is —...श्री लक्ष्मण राव.....

D/W/S of — .....श्री रामलु.....occupation—.....पटवारी.....

Address — ...प0ह0नं0 10, चिखलाकसा, तह0 डौण्डी, जिला बालोद, छ0ग0.....

**मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 11:45 बजे।**

01. सन् 2022 में मैं पटवारी हल्का नंबर 10 ग्राम नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा, वार्ड क0 15 में पटवारी के पद पर पदस्थ था। दिनांक 14.07.2022 को अपराध क्रमांक 224 / 2022 धारा 34-2 आबकारी एक्ट में थाना डौण्डी के द्वारा पटवारी नक्शा चाहने बाबत तहसीलदार महोदय डौण्डी को पत्राचार किया गया था उक्त पत्राचार में तहसील कार्यालय के लिपिक का हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूं जो कि प्रपी-16 है के अ से अ भाग पर है। मेरे द्वारा दिनांक 23.07.2022 को घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल का पटवारी नक्शा मेरे द्वारा तैयार किया गया नक्शे में घटना स्थल को लाल बिंदु से चिन्हित किया गया है। पटवारी नजरी नक्शा प्रपी-17 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

**// प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री आर0एम0 अग्रवाल, वास्ते आरोपी //**

02. यह कहना सही है कि मौका स्थल आरोपी नेमिन बाई साहू के स्वामित्व का होने के संबंध में मैंने कोई भी राजस्व रिकार्ड प्रकरण में संलग्न नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मैं प्रकरण के विवेचक नंद कुमार सिन्हा के बताए अनुसार मौका स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया हूं। स्वतः कहा कि मैं मौके में जाकर प्रपी 17 का नजरी नक्शा तैयार किया हूं। यह कहना सही है कि प्रपी 17 घटना स्थल का नजरी नक्शा मैंने किस गवाह के निशान देही एवं उसकी उपस्थिति में तैयार किया है, उसका हस्ताक्षर नहीं लिया है। यह कहना गलत है कि मैं अपने कार्यालय में बैठकर नजरी नक्शा तैयार किया हूं।

**प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 11:58 बजे।**

गवाह को पढ़कर सुनाया गया, गवाह का हस्ताक्षर मेरे निर्देशन में टंकित सही होना स्वीकार किया।

(श्रीमती श्यामवती मराबी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला-बालोद छ.ग.

(श्रीमती श्यामवती मराबी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला-बालोद छ.ग.